

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन

विज्ञप्ति क्रमांक : एफ 5-2/2022/29-2^{FCS} दिनांक 18.08.2022

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
छायाचित्र
चिपकाएँ एवं
स्वप्रमाणित करें।

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,
जिला

1.	नाम	:	
2.	पिता / पति का नाम	:	
3.	माता का नाम	:	
4.	जन्म तिथि (आवेदन की तिथि को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी)* (प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:	अंकों में शब्दों में
5.	लिंग (Gender)(✓) का निशान लगायें	:	पुरुष <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/>
6.	पत्र व्यवहार का पता	:	
7.	स्थायी पता	:	
8.	आवेदक का मोबाइल नंबर	:	
9.	आवेदक का ई-मेल	:	
10.	शैक्षणिक योग्यता	:	

परीक्षा का नाम	संकाय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कुल प्राप्तांक / कुल पूर्णांक	प्रतिशत
हायर सेकेंडरी					
स्नातक					
विधि स्नातक					
बीए.एलएलबी (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)					
स्नातकोत्तर					
एम.फिल.					
पी.एचडी.					
अन्य					

(मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (जो लागू न हो, काट दें)

11.	वर्तमान व्यवसाय	:	
12.	अनुभव क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले,	:	

	प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबन्धन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम-से-कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखता हो। (अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)		
13.	क्या आप पूर्व में जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य रहे हैं? यदि हाँ तो कब से कब तक, पूर्ण विवरण दें।	:	
14.	वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित लिखें)	:	
15.	विवाहित होने की स्थिति में – पति / पत्नि का नाम - जीवित बच्चों की संख्या - क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं (हाँ/नहीं लिखें) अंतिम बच्चे की जन्मतिथि	:	
16.	क्या आप कोई लोक पद, निजी संस्थान/राजनैतिक दल में कोई पद धारित करते हैं या किसी ऐसे व्यवसाय में रत हैं जिससे सदस्य के रूप में आपके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो?	:	
17.	यदि हाँ, तो क्या आप पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे पद या व्यवसाय को छोड़ने को तत्पर हैं ?	:	
18.	सेवारत होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।		

(जो लागू न हो, काट दें)

- घोषणा -

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियाँ पूरी सत्य और सही हैं। यदि कोई जानकारी झूठी या गलत पाई जाये या बाद में अपात्रता का पता चले तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। मैं राज्य आयोग के निर्देशानुसार अन्य जिला उपभोक्ता आयोग की बैठकों में भाग लेने हेतु सहमति देता/देती हूँ। इस संबंध में विभागीय निर्णय मुझे मान्य होगा। मैंने विभाग के निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ व समझ लिया है और मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव आदि के संबंध में पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए मैंने नियमानुसार अपने विभागीय नियोक्ता को लिखित रूप में सूचित कर दिया है। चयन के किसी भी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर मेरा आवेदन स्वमेव ही निरस्त माना जावेगा।



आवेदक के हस्ताक्षर